मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः27.01.2025

थाना को0कटरा साइबर क्राइम टीम द्वारा अमूल कम्पनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम हुई फ्राड की घटना से सम्बन्धित धनराशि ₹ 01 लाख 50 हजार को पीड़ित के खाते में कराया गया वापस —

आवेदक नीरज कुमार त्रिपाठी पुत्र सुरेश कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम अकोढ़ी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर द्वारा दिनांकः22.05.2024 को थाना विन्ध्याचल पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक को अमूल कम्पनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उसके खाते से ₹ 175800/- की ठगी कर ली गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-102/2024 धारा 420,406 भादवि व 66 सी,डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थाना को0कटरा पर स्थानान्तरित की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अपराध निरीक्षक को0कटरा-राकेश कुमार सिंह(विवेचक) मय टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान ₹ 150000/- को होल्ड कराते हुए साइबर क्राइम टीम को0कटरा द्वारा शिकायतकर्ता के बैंक खाते में 01 लाख 50 हजार रुपये वापस कराए गये। खाते में पैसे वापस आने पर आवेदक द्वारा थाने पर उपस्थित होकर मीरजापुर पुलिस के पुलिस उच्चाधिकारी एवं साइबर क्राइम टीम थाना को0कटरा पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया।